# राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।

कमांक :–एफ/मु./याता./शिकायत/2020/1281 दिनांक :– 19/3/2020

## कार्यालय–आदेश

निगम बसो में महिला यात्रियों के बैठने लिए सीटे आरक्षित की हुयी है। परन्तु कई बार पुरूष यात्री महिला आरक्षित सीटों पर बैठ जाते है और महिला यात्री अपने लगेज एवं बच्चों के साथ खड़ी रहती है। इससे महिला यात्री को यात्रा के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति मे चालक/परिचालकों द्वारा भी महिलाओं को महिला आरक्षित सीट दिलवाने मे सहयोग नही किया जाता है साथ ही चालक परिचालकों द्वारा महिला यात्रियों के साथ सद्व्यवहार नही किये जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही है।

अतः समस्त चालक–परिचालकों को निर्देशित किया जाता है कि बसो मे बैठने वाले सभी यात्रियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जावे। यात्रा के दौरान महिलाओं के लिए प्राथमिकता से आरक्षित सीट (आरक्षण के द्वारा बैठे यात्री के अलावा) पर महिलाओं को बैठाया जावें। महिला यात्रियों के लगेज एवं उनके साथ यात्रा कर रहे बच्चों को बस मे बैठने/उतरने मे सहयोग करेगें साथ ही महिलाओं को सुरक्षित यात्रा करवायेगें। मुख्य प्रबन्धक उक्त आदेशों की सख्ती से पालना करवाना सुनिश्चित करेगें।

(एम. पी. मीना)<br>
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

कमांक :–एफ/मु./याता./शिकायत/2020/1281 दिनांक :–19/3/2020

प्रतिलिपि :–

1– निजी सचिव श्रीमान् अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक महोदय रापनि, मुख्यालय जयपुर।<br>
2– कार्यकारी निदेशक (यातायात/प्रशासन/यांत्रिक/विधि) रापनि, मु.जयपुर।<br>
3– वित्तीय सलाहकार रापनि, मुख्यालय जयपुर।<br>
4– कार्यकारी प्रबन्धक (शिकायत) रापनि, मु.जयपुर।<br>
5– मुख्य प्रबन्धक / प्रबन्धक (यातायात) रापनि, रापनि, ................................ आगार।<br>
6– रक्षित/आदेश पत्रावली।

(अनित्रा बडसीवाल)<br>
उप महा प्रबन्धक (यातायात)

Scanned with CamScanner